न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 36 / 2025

प्रार्थी	**बनाम**	विप्रार्थीगण

धनाराम दत्तक पुत्र खेराजराम वयस्क जातियान जाट निवासी पोटलियों की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा

1. कंवराराम पुत्र खेमाराम वयस्क
2. नोजीदेवी पत्नि खेमाराम वयस्क
3. भोमाराम पुत्र नानगाराम वयस्क
4. चिमाराम पुत्र फूसाराम वयस्क
5. नैनाराम पुत्र खेताराम वयस्क
6. रूपाराम पुत्र नानगाराम वयस्क
7. रामाराम पुत्र खेमाराम वयस्क
8. हिमताराम पुत्र रामाराम वयस्क
9. सुरताराम पुत्र नवलाराम वयस्क
10. खेमाराम पुत्र धूडाराम वयस्क
11. रूघाराम पुत्र बींजाराम वयस्क
12. खेमाराम पुत्र दुर्गाराम वयस्क
13. हेमीदेवी पत्नि दुर्गाराम वयस्क
14. नथूदेवी पत्नि खुमाराम वयस्क
15. पुरोदेवी पत्नि टीकूराम वयस्क
16. कंवराराम पुत्र रावताराम वयस्क
17. फूलीदेवी पत्नि खेताराम वयस्क
18. उमेदाराम पुत्र वेहनाराम वयस्क

जातियान जाट निवासी पोटलियों की ढाणी
तहसील सिणधरी जिला बालोतरा

19. खेमाराम पुत्र कुम्भाराम वयस्क
20. देवाराम पुत्र रायमलराम वयस्क
21. पाबूराम पुत्र रायमलराम वयस्क
22. राणाराम पुत्र भारमलराम वयस्क
23. हिमताराम पुत्र रामाराम वयस्क
24. पदमारा[illegible]तीराम वयस्क
25. माना[illegible] पुत्र [illegible]राम वयस्क
26. रामाराम [illegible] भारमलराम वयस्क

जातियान [illegible] डाभड़ भाटीयान
तहसील सिण[illegible] जिला बालोतरा

27. मानीदेवी पत्नि गुलाबाराम वयस्क जातियान मेघवाल निवासी डाभड़ भाटीयान तहसील सिणधरी जिला बालोतरा
28. तहसीलदार सिणधरी जिला बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.08 18:15:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1. श्री पाबूराम बेनीवाल, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. विप्रार्थीगण एकतरफा।

<u>आदेश</u>

दिनांक –24.04.2025

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी का खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल होडू के ग्राम पोटलियों की ढाणी में खसरा संख्या 16564,1654 / 2, 1803,1806, 1807,1808,1824 रकबा क्रमशः 5.4931,2.5888,3.6648,0.0728,6.2293,0.1861,3.1066 हैक्टेयर खातेदारी का आया हुआ है। प्रार्थी व विप्रार्थीगण के खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी के खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल होडू के ग्राम पोटलियों की ढाणी में खसरा संख्या 16564,1654 / 2, 1803,1806, 1807,1808,1824 रकबा क्रमशः 5.4931,2.5888,3.6648,0.0728,6.2293,0.1861,3.1066 हैक्टेयर खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी के खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल होडू के ग्राम पोटलियों की ढाणी में खसरा संख्या 16564,1654 / 2, 1803,1806, 1807,1808,1824 रकबा क्रमशः 5.4931,2.5888,3.6648,0.0728,6.2293,0.1861,3.1066 हैक्टेयर खातेदारी की भूमि आई हुई है। प्रार्थी के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी के खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल होडू के ग्राम पोटलियों की ढाणी में खसरा संख्या 16564,1654 / 2, 1803,1806, 1807,1808,1824 रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.08 18:15:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

क्रमशः 5.4931,2.5888,3.6648,0.0728,6.2293,0.1861,3.1066 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमनें वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया गया कि तहसील सिणधरी पटवार मण्डल होडू के ग्राम पोटलियों की ढाणी में खसरा संख्या 16564,1654/2, 1803,1806, 1807,1808,1824 रकबा क्रमशः 5.4931,2.5888,3.6648,0.0728,6.2293,0.1861,3.1066 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076–2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डड खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसका प्रार्थी हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती,तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा,प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर तहसील सिणधरी पटवार मण्डल होडू के ग्राम पोटलियों की ढाणी में खसरा संख्या 16564,1654/2, 1803,1806, 1807,1808,1824 रकबा क्रमशः 5.4931,2.5888,3.6648,0.0728,6.2293,0.1861,3.1066 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 500/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

Signature Not Verified

आदेश आज दिनांक 24.04.2025 को लिखा जाकर स[illegible]य में सुनाया गया।

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.08 18:15:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी